

# मध्यप्रदेश विधान सभा

## पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 (चैत्र 3, 1939)

मध्यप्रदेश विधान सभा की (1) लोक लेखा (2) प्राक्कलन (3) सरकारी उपक्रमों संबंधी (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी और (5) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमशः नियम 221(3), 223 (1), 223-क(1), 234-क(1) तथा 234 (द्व) के अधीन माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा (1) लोक लेखा, (2) प्राक्कलन, (3) सरकारी उपक्रमों संबंधी, (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी तथा (5) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए वर्ष 2017-2018 की अवधि में सेवा करने के लिए हुए निर्वाचन में नाम वापसी के पश्चात्, विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को दिनांक 24 मार्च, 2017 को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है तथा नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उक्त समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया गया है:-

### (1) लोक लेखा समिति

1. श्री ओमकार सिंह मरकाम
2. श्री कैलाश चावला
3. श्री जगदीश देवड़ा
4. श्री जसवंत सिंह हाड़ा
5. श्री बाला बच्चन
6. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
7. श्री मानवेन्द्र सिंह
8. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
9. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
10. श्री रमेश मैन्दोला
11. श्री सरताज सिंह

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है.

### (2) प्राक्कलन समिति

1. श्री अरूण भीमावद
2. श्री इन्दर सिंह परमार
3. श्री गिरीश गौतम
4. श्री गोवर्धन उपाध्याय
5. श्री देवेन्द्र वर्मा
6. श्री प्रदीप अग्रवाल
7. डॉ. मोहन यादव
8. श्री योगेन्द्र सिंह
9. श्री रामपाल सिंह
10. श्री विजयपाल सिंह
11. श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)

श्री गिरीश गौतम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है.

Continue.....

